

समाचार प्रकाशनार्थ

संपत्तिकर 3729 करोड़ व जलकर 78 लाख अधिक वसूल हुआ

रतलाम 1 अप्रैल । नगर निगम संपत्तिकर व जलकर विभाग ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार मुस्तैदी से कार्य करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में संपत्तिकर 3729 करोड़ व जलकर 78 लाख अधिक वसूल किया।

संपत्तिकर विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक 13 करोड़ 16 लाख व जलकर विभाग द्वारा 7 करोड़ 70 लाख की वसूली की जो कि पिछले वर्ष की तुलना में संपत्तिकर 3729 करोड़ व जलकर 78 लाख अधिक है।

बकाया व अवैध नल संयोजन विच्छेदन की मुहिम निरंतर जारी

14 अवैध नल संयोजन विच्छेद

36 अवैध नल संयोजनों को वैध किया गया

रतलाम 1 अप्रैल । नगर निगम द्वारा अवैध व बकाया राशि के नल संयोजन विच्छेदन की कार्यवाही के तहत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न क्षेत्रों से 14 अवैध नल संयोजनों को जलप्रदाय विभाग टीम द्वारा विच्छेद किया गया साथ ही 36 अवैध नल संयोजनों को वैध किया गया।

नगर निगम द्वारा नल संयोजनो के बकायादारों से अपील की जाती है कि वे अपनी बकाया राशि जमा कराकर नल संयोजन विच्छेदन की कार्यवाही से बचें। अवैध नल संयोजनकर्ता अपने नल संयोजन को नियमानुसार वैध करावें।

5 से अधिक ट्रीप लगाने वाले 33 ड्रायवर व हैल्परों का निगम आयुक्त श्री झारिया ने किया सम्मान

1 अप्रैल शुक्रवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 251 ट्रीप

कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों का आज होगा सम्मान

115 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 1 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छ सुन्दर बनाने तथा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 बनाने हेतु नगर निगम के 33 कचरा संग्रहण वाहनों के चालकों व हैल्परों जिन्होंने 5 से अधिक ट्रीप लगाई उनका निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने पलसोड़ा स्थित वर्कशॉप में प्रातः 06:30 बजे सम्मान किया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 1 अप्रैल बुक्रवार को 115 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

1 अप्रैल बुक्रवार को डम्पर से 29120 किलोए टे^a कटर से 15275 किलोए मैजिक सूखा कचरा 45270 किलोए मैजिक गीला कचरा 26260 किलोए सेनेटरी वेस्ट 3 किलो व घरेलू हानिकारक कचरा 4 किलो इस तरह कुल 115925 किलो कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

गंदगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना रतलाम 1 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैंए अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैंए खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 1 अप्रैल बुक्रवार को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अरिहंत कम्प्यूटर पर 2000ए
षर्मा टी स्टॉल पर 1000ए योगेश पाटीदार पर 1000ए गोविन्द पान कार्नेरए राजेन्द्र
रेस्टोरेन्टए गुरु कृपा होटलए वाघेला फल.फ्रुट पर 300ए रमेशचन्द्र व्यास पर 250.250ए
कमल व राजेश कुमार कुषवाह पर 100.100 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में
गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।
स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्टए विजय मेहनाए मनीश झांझोटए
अंकित पुरोहितए राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

पशु वाहन के 4 कर्मचारियों का 7.7 दिवस का वेतन काटा
रतलाम 1 अप्रैल। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पशु वाहन
के नियुक्त कर्मचारी चरणसिंह.भारतसिंहए मेहफुज.कालेखांए रामा व पूनमचन्द्र.
रतन द्वारा 1 अप्रैल को 1 भी मवेशी नहीं पकड़ने पर 7.7 दिवस का एक दिवस का
वेतन काटा गया।

दरोगा प्रेमचन्द फतरोड का 15 दिवस का वेतन काटा
रतलाम 1 अप्रैल। वार्ड क्रमांक 33 के दरोगा प्रेमचन्द फतरोड को सिविक सेंटर क्षेत्र
में सफाई कराने के निर्देश दिये जाने के बाद भी सफाई नहीं कराये जाने पर निगम
आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 15 दिवस का वेतन काटा जाकर
कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

गुड़ी पड़वा पर आज पशु वध करनाए मटन विक्रय प्रतिबंधित
रतलाम 1 अप्रैल । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 2 अप्रैल शनिवार गुड़ी पड़वा व
चैती चांद पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की
दुकानों पर पशुवध करनाए मटनए गौषत विक्रय करना अथवा बेचना निशेध किया
गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौष्ठ विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

16 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त रतलाम 1 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 15 व दोपहर की शिफ्ट में 5 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त धनिलबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

1 अप्रैल बुक्रवार को वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में सचिन.रामसेवक ए अजय.विनोद ए बादल.दिलीप ए विजय.फुलचन्द ए दीपक.जगदीष ए सुनील.षंकरलाल ए झोन क्रमांक 2 में कृष्णाबाई पति रतन ए झोन क्रमांक 3 में फकीरचन्द.रतन ए सोनूबाई पति जीवन ए झोन क्रमांक 4 में कन्हैयालाल.कमल ए सन्नी.सुरेन्द्र व दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में रानीबाई पति धीरज ए रवि.सुरेश ए सरवन.प्रकाश ए झोन क्रमांक 3 में सुषीलाबाई पति शिव ए झोन क्रमांक 4 में मीनाश्री पति योगेश इस तरह 16 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त धनिलबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध

30 जून तक प्रषमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 1 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 1 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ,प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टे^aए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्स व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर^{द्व} के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ,पॉलीथीन^{द्व} निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0

7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 1 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण

एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2^{००} के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टार, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही रतलाम 1 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रुपये 1000₹. एवं लायसेंस शुल्क रुपये 500₹. प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100₹. रुपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी। नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 1 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रुपये 10₹0000. तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राशि रुपये 20₹0000. ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 1 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 1 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कें गली सार्वजनिक स्थल नाले नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी कचरे के ढेर नाले नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डों की समुचित साफ सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार ज्योतिष विमल हेमन्त 01/04/2022 नपा निगम रतलाम